मुख्य सचिव कार्यालय, उत्तर प्रदेश शासन

प्रथम तल, लोक भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ
दूरभाष संख्या–0522–2238212, 2236296, फैक्स–2239283

संख्या– 281/पी.एस.एम.एस./2020
लखनऊ : दिनांक : 23 अप्रैल, 2020

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी
समस्त पुलिस कमिश्नर/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक

कोविड–19 की रोकथाम एवं इसके संक्रमण से बचाव के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही अपेक्षित है :–

1–समस्त जिलों में तथा विशेष रूप से हॉट–स्पॉट से सम्बन्धित क्षेत्रों में लॉक–डाउन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। इस हेतु जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रातः शीघ्रातिशीघ्र मण्डी आदि खुलने के पहले से भ्रमण पर निकलें तथा लॉक–डाउन से सम्बन्धित दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करायें।

2– यदि कोई ट्रक अथवा मालवाहक वाहन यात्रियों के परिवहन में लिप्त पाया जाय तो उसके विरूद्ध अधिनियम के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जाय तथा उसे जब्त करने की कार्यवाही भी नियमानुसार सुनिश्चित की जाय।

3– जिलों में आपात चिकित्सा प्रदान करने वाले चिकित्सालयों की सूची बनाई जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि उनमें प्रशिक्षण एवं सुरक्षा से सम्बन्धित समस्त सामग्री (PPE आदि) उपलब्ध हो। सामान्य मरीजों के लिए स्थानीय आई0एम0ए0 के पदाधिकारियों से विचार–विमर्श कर फोन पर परामर्श देने की व्यवस्था की जाय एवं ऐसे चिकित्सकों की सूची, फोन नं0 एवं परामर्श का समय अंकित करते हुए जन सामान्य के लिए प्रकाशित की जाय। इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– विभिन्न गोशालाओं एवं गो–संरक्षण केन्द्रों पर चारे एवं भूसा की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय।

5– राशन की दुकानों पर खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में सोशल–डिस्टेंसिंग एवं स्वच्छता की पूरी व्यवस्था रहे। प्रत्येक राशन की दुकान हेतु नोडल

अधिकारियों की तैनाती की जाय तथा यथा–सम्भव उनके सामने ही खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित कराया जाय।

23.04.20

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह/राजस्व/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा/कृषि/खाद्य एवं रसद/नगर विकास/परिवहन, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव